

आज दिनांक 12. 6. 2000 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी. एम. वोहरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

1-श्री बी. एम. वोहरा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2-श्री राम कृष्ण, उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा., देहरादून	उपाध्यक्ष
3-श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
4-श्री हरिश्चन्द्र जोशी, प्रशासक, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
5-श्री पी. के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल निगम	सदस्य
6-श्री बृज बी०रतन, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खाण्ड, देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
7-श्री गणेश जोशी	सदस्य
8-श्री बृज मोहन	सदस्य
9-श्री रूप सिंह	सदस्य

अन्य उपस्थिति:-

- 1-श्री बी. के. सोनकर, कार्यवाहक सचिव, म०दे०वि०प्रा०
- 2-श्री जी. बी. सिंह, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, म०दे०वि०प्रा०
- 3-श्री आर. पी. पसबोला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी म०दे०वि०प्रा०

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व सभी सदस्यों द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के नव नियुक्त सदस्य श्री गणेश जोशी, श्री बृज मोहन एवं श्री रूप सिंह का स्वागत किया गया।

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसकी कार्यवाही बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

सर्व-प्रथम दिनांक 12. 5. 29 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक से सम्बन्धित निम्नांकित प्रकरणों पर चर्चा हुई।





बिन्दु संख्या :-01

ग्राम अजबपुरकलां में स्थित रिस्पना नदी के पश्चिम तथा बाईपास के पूरब दिशा की ओर स्थित रिक्त भूमि में से कुछ भूमि जो विकास प्राधिकरण हित में प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित की गयी थी, पर ग्राम पंचायत अजबपुरकलां द्वारा अन्य लोगों को भूमि आवंटन की कार्यवाही कर दिस जाने के कारण जिलाधिकारी, देहरादून से पूर्व में अनुरोध किया गया था कि ग्राम पंचायत द्वारा विकास प्राधिकरण के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि में कब्जा किए जाने के रजि में पास में स्थित अन्य भूमि 30प्र0 जमींदारी अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत अधिग्रहित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व जिलाधिकारियों के स्तर पर चूँकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थी अतः वर्तमान जिलाधिकारी श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा से पुनः अनुरोध किया गया कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित सहायक अभियंता श्री यशपाल शर्मा को भी निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों सहित जिलाधिकारी, देहरादून से सम्पर्क कर लें।

बिन्दु संख्या-3 जो औद्योगिक इकाईयों की स्पॉट जोनिंग के सम्बन्ध में है, के बारे में मुख्य रजेण्डा में विचार किया गया है।

बिन्दु संख्या :-07

बिन्दु संख्या-07 के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि पूर्व में आश्रय योजना के अन्तर्गत भवनों को ₹0-45,000/- तक की सीमा के अन्तर्गत रखाने का निर्देश था लेकिन प्राधिकरण द्वारा भवन बनाए जाने पर लागत 18 लाख ₹0 अधिक आई। इस प्रकार उक्त 18 लाख ₹0 की धनराशि की पूर्ति विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य योजनाओं से किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय विगत बैठक में लिया गया था। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए गए थे कि अन्य योजनाओं में उक्त अतिरिक्त धनराशि को समायोजित करने की कार्यवाही की जाए ताकि आवंटियों को शासन द्वारा निश्चित धनराशि पर ही भवन मिल सकें। भविष्य के लिए यह निर्देश दिए गए थे कि किसी भी दशा में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा ₹0 45,000/- से अधिक लागत आश्रय योजना के भवनों के निर्माण पर नहीं आनी चाहिए। बैठक में अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु संख्या :- 10

मसूरी में पूर्व निर्मित घोडा स्टैण्ड के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ और घोडा स्टैण्ड के भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून ने विस्तार से वार्ता की एवं सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि घोडा स्टैण्ड के ठेकेदार ने बिना अनुमति के घोडा स्टैण्ड का निर्माण किया गया है तो उसका भुगतान न किया जाए। माननीय सदस्य श्री रूप सिंह ने भी टिप्पणी करते हुए यह बताया कि घोडा स्टैण्ड का उपयोग भी नियमानुसार नहीं हो रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि समस्त तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात् इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही करें।

बिन्दु संख्या-17 के सम्बन्ध में मुख्य सजेण्डा {बजट प्रस्ताव के साथ} विचार किया गया है।

बिन्दु संख्या :- 21

राजपुर रोड़ पर एस्लेहल तथा सेंट जोजफ अकादमी के पास स्थित एकता स्मारक चौराहे के स्थान पर प्रस्तावित महाराणा प्रताप की मूर्ति के निर्माण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया गया कि क्षात्रिय महासभा शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित <sup>अधिकारियों</sup> से अनुमति आदि लेने के पश्चात् मूर्ति स्थापना की कार्यवाही स्वयं करे क्योंकि उन्होंने ही ऐसा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा इसके लिए शासन से भी अनुमति प्राप्त की है।

उपरोक्त विचार-विमर्श के उपरान्त दिनांक 6.01.2000 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक की कार्यवाही के बिन्दुओं को पढ़ा गया तथा उनके सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

बिन्दु संख्या :- 01

यह बिन्दु विजन 2000 से सम्बन्धित है, इस बिन्दु पर देहरादून नगर की आवश्यकताओं के अनुरूप यातायात हेतु समुचित चौड़ी सड़कें, उपरि-गामी सेतु, अधायोगी पद यात्री मार्ग, कम्प्यूटर के क्षेत्र में सौफ्टवेयर पार्क का सृजन, शैक्षिक संस्थानों एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था हेतु स्थान का चिह्निकेन स्वस्थ मनोरंजन हेतु उच्च कोटि के मनोरंजन पार्क, नगर के अन्तर्गत पानी की

निकासी हेतु कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की निर्माणाधीन आगामी महायोजना में विजन-2000 से सम्बन्धित उक्त बिन्दुओं के लिए स्थान का समुचित समावेश कर लिया जाए।

विजन-2000 से सम्बन्धित बिन्दु पर विचार-विमर्श के दौरान ही त्यागी रोड़ के अंत में स्थित रेलवे लाईन के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखाते हुए किसी निजी संस्थान से सम्पर्क करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या :- 02

यह बिन्दु विकास प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए मार्ग दर्शिका सिद्धान्त §गार्डलार्इन्स§ के सम्बन्ध में है। उक्त विषय पर विचार-विमर्श के दौरान बैठक में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा प्रेषित आदेशी मार्गदर्शिका सिद्धान्तों §गार्डलार्इन्स§ का विकास प्राधिकरण हित में परीक्षाण किए जाने हेतु गठित कमेटी की बैठक अब तक नहीं हो पाई है। बैठक को अवगत कराया गया कि उक्त कमेटी की एक सदस्या श्रीमती अर्पिता सक्सेना अब प्राधिकरण बोर्ड की सदस्य नहीं रही हैं, इस कारण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उक्त समिति की बैठक समय से नहीं हो पाई।

बैठक में उक्त विषय पर चर्चा के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कमेटी के अध्यक्ष सचिव, म०दे०वि०प्रा० को एवं अन्य सदस्यों के साथ-साथ प्राधिकरण के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक को भी उक्त समिति का सदस्य नामित किया गया था परन्तु सचिव एवं मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक में आपसी समन्वय न होने के कारण भी उक्त समिति की बैठक नहीं हो पाई।

विचारोपरान्त इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में वांछित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार एक समिति

0000

0

का गठन किया गया:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1-मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, म०दे०वि०प्रा० | अध्यक्ष |
| 2-अधिकाशासी अभियंता, म०दे०वि०प्रा०              | सदस्य   |
| 3-श्री बृज मोहन                                 | सदस्य   |

समिति को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

गत बैठक की कार्यवाही के बिन्दु संख्या-3 व 4 जो क्रमशः स्पांट जोनिंग एवं शाालिनी मेमोरियल स्कूल के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में इस बैठक के मुख्य एजेण्डा में विचार-विमर्श किया गया।

बिन्दु संख्या:-05

यह बिन्दु राजपुर रोड योजना संख्या-02 {जाखान} देहरादून की भूमि के संदर्भ में है। इस बिन्दु पर बैठक में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि सम्बन्धित भूमि को आवास विकास परिषद के अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में शासन से आदेश हो गए हैं लेकिन इस सम्बन्ध में शासन की सम्बन्धित अधिसूचना प्रकाशित हुई अथवा नहीं हुई, के बारे में जानकारी नहीं है। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन से सम्बन्धित अधिसूचना प्राप्त की जाए एवं इस सम्बन्ध में कार्यवाही तदनुसार प्राधिकरण अपने स्तर से करना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त निर्देशों/निर्णयों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 06.01.2000 की कार्यवाही की पुष्टि सर्व-सम्मति से की गयी।

विषय क्रमांक:-01

हरिद्वार-सहारनपुर बाईपास रोड पर स्थित रिस्पना नदी के किनारे प्राधिकरण द्वारा ग्राम समाज से क्रय की गयी भूमि पर आश्रय योजना के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा इस प्राधिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए 100 भवनों के निर्माण का लक्ष्य आश्रय योजना के अन्तर्गत रखा गया है जिनको विकास प्राधिकरण द्वारा इसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पूरा करवाना है। उपाध्यक्ष, म० दे० वि० प्रा० द्वारा अवगत कराया गया कि आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटित किए जाने वाले भवनों की कीमत को दृष्टिगत रखाते हुए प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि पर आश्रय योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि आश्रय योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण की मूल्य सीमा ₹ 45,000/- शासन द्वारा निर्धारित है और शासन से समय-समय पर आदेश प्राप्त हुए हैं कि इस सीमा को किसी भी दशा में अब बढ़ाया न जाए। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भी गत बैठक में मूल्य सीमा न बढ़ाने का निर्देश दिया था अतः भूमि की लागत को दृष्टिगत रखाते हुए ग्राम सभा अजबपुरकलां में उ० प्र० जमींदारी एक्ट की धारा-117 के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि पर इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा आश्रय योजना के भवन बनाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया था कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से परिचालन के माध्यम से कराया जायेगा। परिचालन के माध्यम से अनुमोदित करने हेतु प्रस्ताव जब प्राधिकरण के सदस्यों को प्रेषित किया गया तो उस पर पांच सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। केवल जिलाधिकारी, देहरादून ने इस प्रस्ताव अपनी विपरीत टिप्पणी अंकित करते हुए कहा कि भूमि का भू-उपयोग नदी तट है अतः इस सम्बन्ध में शासन से अनुमति प्राप्त की जाए। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय द्वारा प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखे जाने का निर्णय अंकित किया गया था और तदनुसार प्राधिकरण की आज की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, देहरादून ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित न किए जाने पर जोर दिया और कहा कि शासन की बिना अनुमति के कार्यवाही न की जाए। ज्ञात करने पर बैठक में प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्री यशपाल शर्मा ने बताया कि मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 80 भवन निर्मित/निर्माणाधीन है। यह ज्ञात

0000

2

12-6-2000

--7--

करने पर कि इन भवनों के निर्माण की अनुमति किसके द्वारा दी गयी है, तो इस पर सहायक अभियंता श्री यशपाल शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण के सम्मानित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर कोरम पूरा होने पर स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया था। मा० अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष से निर्माण की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने ~~कहा कि उनके द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक अनुमति नहीं दी गयी है।~~ इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि इस स्थल का भू-उपयोग परिवर्तित किए जाने हेतु वर्ष 1996 में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसकी अनुमति शासन स्तर से अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः निर्णय लिया गया कि शासन से पुनः इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क करके शासन की अनुमति प्राप्त की जाए तथा शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त आश्रय योजना के भवनों का निर्माण किया जाए क्योंकि यह शासन द्वारा समयबद्ध एवं मूल्य सीमाबद्ध कार्यक्रम है।

विषय क्रमांक:-02

दान्सपोर्ट नगर के ले-आउट में प्रस्तावित 80 फुट चौड़े मुख्य मार्ग के मध्य आ रही भूमि के बदले दान्सपोर्ट नगर में ही भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में विचार ।

प्रस्ताव में वर्णित तीनों बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा अंतिमरूप से निर्णय लिया गया कि दान्सपोर्ट नगर के लिए बनाए गए ले-आउट प्लान के जिस 80 फुट चौड़े मार्ग में श्री मंजीत सिंह आहलूवालिया का मकान व भूमि आ रही है उसके बदले श्री आहलूवालिया को भवन तथा भूमि का मूल्य दे दिया जाए। सदस्यों का अभिमत यह भी था कि मूल्य का निर्धारण शासन द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित भूमि मूल्यांकन समिति से ही कराया जाए।

000

*(Signature)*

विषय क्रमांक:-03

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में पजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से इसे अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-04

खाना-5 एवं 35 ग्राम आमवाला तरला पर शाालिनी मेमोरियल स्कूल के भवन मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व लिए जाने वाले विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखाते हुए आम सहमति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक:-05

125 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड पर भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई । सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून द्वारा आवास विभाग उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1614/9-आ-3-99-38 विविधा/97 दिनांक 01 मई, 1997 का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि जब शासन की यह मंशा है कि बिल्टअप क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन मानचित्रों के निर्माण के लिए भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है तो विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्टअप क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 125 वर्ग मीटर से कम भूखण्ड क्षेत्रफल तक के आवासीय भवन मानचित्र को स्वीकृति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस सम्बन्ध में प्लॉट सरिया और नेट सरिया अलग-अलग दर्शाए जाते हैं इसलिए महायोजना में निर्धारित

रोड वार्डनिंग का कोई प्रभाव प्लॉट सरिया पर नहीं पड़ेगा। तदनुसार सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नियोजक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्राधिकरण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे भूखण्डों का न्यूनतम प्लॉट सरिया 125 वर्ग मीटर होना चाहिए। नेट सरिया पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विषय क्रमांक:-06

स्पॉट जोनिंग के सम्बन्ध में ।

देहरादून विकास क्षेत्र के अर्न्तगत स्थापित औद्योगिक ईकोईयों की स्पॉट जोनिंग के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित विशेष आमंत्रित सदस्य प्राधिकरण के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक श्री जी.बी. सिंह ने बताया कि महायोजना में औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित सीमा 133 हैक्टेअर से पहले ही काफी अधिक लगभग 350 हैक्टेअर है। अतः स्पॉट जोनिंग के सम्बन्ध में क्षेत्रफल बढ़ाया नहीं जा सकता है इसका समर्थन सहयुक्त नियोजक ने भी किया। मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जो समिति गठित की थी उसकी आख्या तैयार हो गयी है इस पर सदस्यों ने जानना चाहा कि उक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं की गयी और इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक अपने स्तर पर समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए अपनी तकनीकी आख्या प्रस्तुत करें जिससे प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

विषय क्रमांक:-07

देहरादून विकास क्षेत्र हेतु संशोधित महायोजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया और जैसा कि प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित किया गया है कि देहरादून महायोजना आगामी

8 मई, 2001 तक वैधा है और नई संशोधित महायोजना तैयार किए जाने हेतु शहर का भौतिक सर्वेक्षण कराया जाना है। मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण में मात्र दो सर्वेकार कार्यरत हैं और संशोधित महायोजना हेतु लगभग 5000 हेक्टेअर अर्थात् 12,500 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया जाना है जो विकास प्राधिकरण स्तर पर सम्भव नहीं है। उन्होंने अवगत कराया कि प्राईवेट कन्सल्टैन्सी से उक्त सर्वे के कार्य को कराने हेतु लगभग 25 लाख ₹0 व्यय करने होंगे। इस पर उपस्थित सभी सदस्यों का मत था कि विकास प्राधिकरण स्तर पर इतनी बड़ी धानराशि व्यय किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि संशोधित महायोजना के सम्बन्ध में सर्वे इत्यादि का कार्य कराने हेतु पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं रूडकी यूनिवर्सिटी से सम्पर्क कर सर्वे कार्य हेतु अनुरोध कर लिया जाए और यदि उक्त संस्थाएं इस कार्य के लिए तैयार होती हैं तो उक्त सर्वेक्षण कार्य इनसे ही कराया जाए। उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश भी बोर्ड द्वारा दिए गए ताकि अगली महायोजना अपने निर्धारित समय से लागू हो जाए।

विषय क्रमांक:-08

विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए मार्ग दर्शिका सिद्धान्त {गार्डइलाइन्स} के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव का सभी सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। गत बैठक दिनांक 6.11.2000 में उपरोक्त विषय पर लिए गए निर्णय का अनुपालन न किए जाने पर आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा घोर असंतोष व्यक्त किया गया। उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषय पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष {तत्कालीन सचिव, म0दे0वि0प्रा} एवं समिति के एक अन्य सदस्य {मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक} के मध्य आपसी समन्वय न होने के कारण उक्त समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा इस हेतु पुनः नई समिति गठित करने का अनुरोध किया गया। विचारोपरान्त मुख्य वास्तुविद एवं नगर

---| |---

नियोजक की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया :-

1-मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक	अध्यक्ष
2-अधीशासी अभियंता	सदस्य
3-श्री बृज मोहन	सदस्य

समिति को निर्देश दिए गए कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक:-09

विकास प्राधिकरण की डालनवाला आवासीय योजना के पूरब की ओर खुले स्थल के आवंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरान्त इसे सर्व-सम्मति से अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-10

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून का वर्ष 1999-2000 का संशोधित तथा वर्ष 2000-0 2001 का प्रस्तावित बजट ।

वर्ष 1999-2000 के लिए प्रस्तुत संशोधित एवं वर्ष 2000-2001 के लिए प्रस्तावित बजट के विभिन्न पहलुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सदस्यों का अभिमत था कि मसूरी क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए तथा मसूरी से होने वाली आय का व्यय भी मसूरी के विकास कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस पर बैठक में सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी में वर्तमान समय में माओ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य अनुमन्य नहीं किया जा रहा है परिणामस्वरूप विकास प्राधिकरण को विकास शुल्क एवं अन्य शुल्कों के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है और विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी विकास/सौन्दर्यीकरण के कार्य इस

o o o o

G

समय मसूरी में किए जा रहे हैं वह प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से ही किए जा रहे हैं।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान प्रशासक नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका सीमा के अर्न्तगत भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय प्राप्त होने वाला स्टेकिंग चार्ज की धनराशि अब तक नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराई गयी है जबकि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में संबंधित शासनादेशों को संदर्भित करते हुए कई बार विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया जा चुका है। इस पर उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 में यह प्राविधान है कि अगर विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करता है तो स्थानीय निकाय को निर्धारित प्रतिशत स्टेकिंग शुल्क दिया जायेगा। चूंकि विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तृत पैमाने पर सड़कों, नालियों आदि का निर्माण समुचित धनराशि जो प्राप्त स्टेकिंग चार्ज से ज्यादा है, लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा में दिए गए प्राविधानों के अनुसार नगर निगम को स्टेकिंग चार्ज नहीं दिया जा सकता है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त विषय पर अलग से विचार-विमर्श हेतु आगामी 15.06.2000 के बाद की कोई तिथि बैठक हेतु निर्धारित कर ली जाए जिसमें इस सम्बन्ध में समुचित निर्णय ले लिया जायेगा।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्यों की जिज्ञासा पर उन्हें अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थानों से जो ऋण लिए गए हैं, उनका प्रतिदान समय से उन्हें किया जा रहा है।

उपरोक्त विचार-विमर्श के उपरान्त वर्ष 2000-2001 के लिए प्रस्तावित बजट जिसमें आय ₹0-19.09 करोड़ एवं व्यय ₹0-18.11 करोड़ है, को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।





एजेण्डा नोट के अर्न्तगत भाग-2 में प्रदर्शित विकास प्राधिकरण के कार्य कलापों की प्रगति के सम्बन्ध में प्रस्तुत आंकड़ों का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया और निम्नानुसार मत प्रकट किए गए :-

विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अर्न्तगत सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न आवासीय योजनाओं के अर्न्तगत आषटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण स्तर पर उनके द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के अर्न्तगत विगत 10 दिसम्बर, 1999 से अब तक सम्पत्ति निस्तारण का एक विशेष कैम्प लगाया गया है जिसके कारण विकास प्राधिकरण की लगभग 259 लाख रु० की रिक्त पड़ी सम्पत्ति का निस्तारण इस कैम्प के आयोजन से हुआ है। सभी सदस्यों द्वारा उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं सम्पत्ति निस्तारण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा गठित प्रकोष्ठ के उक्त प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अन्य योजनाओं के निस्तारण हेतु भी भविष्य में भी इस प्रकार का सफल प्रयास कर प्राधिकरण को चहमुखाी विकास की ओर अग्रसर करेंगे।

एजेण्डा नोट के उक्त भाग के अर्न्तगत प्रदर्शित विकास प्राधिकरण के कार्य-कलापों से सम्बन्धित अन्य आंकड़ों का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया तथा वर्णित प्रगति रिपोर्टों पर संतोष व्यक्त किया गया।

विषय क्रमांक :- 11

प्राधिकरण कार्यालय में स्थित बैंक आफ बडौदा विस्तार पटल के कार्यालय के कार्यों में विस्तार होने के कारण अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। आम सहमति यह थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय परिसर में बैंक आफ बडौदा के विस्तार पटल के भवन का निर्माण अपने संशोधनों से किया जाए तथा

इस विस्तार पटल भवन को विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक आफ बडौदा को किराए में उपलब्ध कराया जाए। आम सहमति से यह भी निर्णय लिया गया कि यदि प्राधिकरण के पास इस भवन के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध न हो तो इसके लिए बैंक आफ बडौदा से ऋण लेकर भी विकास प्राधिकरण इस भवन का निर्माण कर सकता है और ऋण की अदायगी किराए से की जाए।

विषय क्रमांक:-12

डालनवाला आवासीय योजना में ग्राम तरला अधोईवाला की सीमा से लगे छोटे-छोटे अनावंटित प्लॉटों को आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में ।

---


विस्तृत चर्चा के उपरान्त आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल को खुले क्षेत्र के रूप में रखा जाए और प्रश्नगत स्थल पर बृक्षारोपण का कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा तत्काल कर दिया जाए जिससे इस भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए।


विषय क्रमांक:-13

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या-797/99-2000 के सम्बन्ध में ।

---

खानो-151/1 एवं 152 बकराल गांव परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान के शोधन एवं शिक्षण हेतु भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित मुख्य नगर नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग, उ०प्र० के प्रतिनिधि श्री भुज बी०रतन, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की दिनांक 17.06.1996 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक में कृष्ण/हरित क्षेत्र में स्कूल के निर्माण हेतु निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप नहीं है और इसी आधार पर यह मानचित्र पूर्व में दोहरा





अस्वीकृत होना भी बैठक में बताया गया।

विस्तृत विचारोपरान्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखाते हुए प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-14

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक को उपलब्ध आवास सुविधा के संदर्भ में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० इस सम्बन्ध में समस्त पहलुओं का व्यापक परीक्षा कर इसे आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें तथा इस प्रकरण पर आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें।

विषय क्रमांक:-15

श्री भगवती प्रसाद शर्मा, जूनियर प्रोग्रामर को एक मुश्त दिए जा रहे मासिक रू०-4000/- में बृद्धि किए जाने पर विचार।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखाते हुए आम सहमति से निर्णय लिया गया कि श्री भगवती शर्मा, जूनियर प्रोग्रामर को रू०-4000/- के स्थान पर रू०-5000/- मासिक दिया जाए।

विषय क्रमांक:-16

श्री जुगल तिवारी, एडवोकेट द्वारा प्राधिकरण अधिवक्ता के रूप में अनुबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्य श्री बृज मोहन द्वारा अवगत कराया गया कि जब वह तत्कालीन नगरपालिका परिषद के सदस्य

थे तो उस समय श्री तिवारी नगरपालिका परिषद के अधिवक्ता का कार्य देखा रहे थे। श्री बृज मोहन का कहना था कि उन्होंने श्री तिवारी का कार्य देखा है और इनका कार्य संतोषजनक नहीं है। माओ सदस्य ने अवगत कराया कि यह प्राधिकरण के पैनल में रखे जाने योग्य नहीं हैं। इस पर सभी सदस्यों का यह अभिमत था कि श्री तिवारी को प्राधिकरण अधिवक्ता के पैनल पर रखे जाने से पूर्व इनकी परफारमेंस ज्ञात कर ली जाए और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को सर्व-सम्मति से अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-17

आर्यन एजुकेशन सोसाईटी द्वारा कृष्ण हरित क्षेत्र ग्राम मालसी में प्राईमरी स्कूल के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या-367/2000 2001 के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण की दिनांक 17.6.2000 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कृष्ण/हरित क्षेत्र में स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार उक्त प्रकरण नहीं आता है इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। आपसी विचार विमर्श के उपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया गया कि सर्व-प्रथम इस प्राथमिक स्कूल के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि कितने प्राईमरी स्कूल इस क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने पर इस संबंध में समस्त तथ्यों का सम्यक् परीक्षण के उपरान्त बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए जिससे इस सम्बन्ध में अग्रिम निर्णय लिया जा सके ।





अन्य विषय क्रमांक:-01

बैंको से एफ0डी0आर0 के विपरीत ओ0डी0 लेने हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधीकृत किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

अन्य विषय क्रमांक:-02

श्री गणेश जोशी, सदस्य, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा दिए गए चार सुझावों पर विचार ।

प्रथम सुझाव यह था कि देहरादून महायोजना 2001 के अन्तर्गत दर्शाए गए निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जो निर्मित क्षेत्र की परिभाषा के अनुकूल हैं तथा इनमें निर्मित क्षेत्र हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाने चाहिए।

इस सुझाव पर विस्तृत विचारोपरान्त आम सहमति यह थी कि देहरादून शहर के लिए प्रस्तावित नई महायोजना निर्माणाधीन है जिसमें निर्मित क्षेत्र का स्वयं ही विस्तार हो जायेगा। अतः तदनुसार मा0 सदस्य के उक्त सुझाव को नई महायोजना में समायोजित करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक तथा सहयुक्त नियोजक को निर्देश दिए गए।

मा0 सदस्य श्री जोशी द्वारा दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य विकास प्राधिकरणों की भांति देहरादून में भी स्थानीय पत्रकारों को विकास प्राधिकरण द्वारा अपने भवन/ भूखण्ड रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक में उपरोक्त सुझाव पर चर्चा हुई। आम सहमति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड

बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

सुझाव संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि जिन क्षेत्रों में  
एफ०ए०आर० 1.00 स्वीकृत था, शासन द्वारा उसको बढ़ाकर 1.20 किया  
गया है परन्तु उसकी पूर्णतया अवहेलना करते हुए प्राधिकरण द्वारा  
केवल 1.00 एफ०ए०आर० ही स्वीकृत किया जा रहा है जो पूर्णतया शासन  
की नीति के प्रतिकूल है।

बैठक में उपरोक्त सुझाव पर विचार करने के उपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया गया कि इस सुझाव पर शासन का निर्णय प्राप्त कर लिया जाय क्योंकि बार्डलौज में संशोधन करने का अधिकार केवल शासन में निहित है। अतः तदनुसार प्राधिकरण के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक एवं सहयुक्त नियोजक को निर्देश दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को निर्णय हेतु प्रेषित करें।

सुझाव संख्या-4 में मा० सदस्य द्वारा कहा गया है कि देहरादून विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कई स्थानों पर महायोजना के अन्तर्गत निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध कई आवासीय भवनों के मानचित्रों को स्वीकृति दी गयी है तथा इस प्रकार के क्षेत्रों में यदि कोई एकाध भूखण्ड रिक्त है तो विकास प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग के विरुद्ध होने के कारण वर्तमान में भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। प्रस्ताव में उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में इस प्रकार के रिक्त भूखण्डों के आवासीय भवन मानचित्रों को पूर्व की भांति स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

इस सुझाव पर व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि देहरादून शहर के लिए प्रस्तावित नई महायोजना निर्माणाधीन है जिसमें ऐसे क्षेत्रों का भू-उपयोग निश्चित तौर पर बदल जायेगा। अतः तदनुसार मा० सदस्य के उक्त सुझाव को नई महायोजना में समायोजित करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक तथा सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भाग को निर्देश दिए गए।





अन्य विषय क्रमांक-3 के संबंध में निर्देश हुआ कि प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाए।

अन्त में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माओ सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय का धान्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

*0000*  
*24/6/2000*  
॥ वी०के०तोनकर ॥  
कार्यवाहक सचिव,  
म०दे०वि० प्रा०  
देहरादून ।

*Shaw*  
*24/6/2000*  
॥ राम कृष्ण ॥  
उपाध्यक्ष  
म०दे०वि० प्रा०  
देहरादून ।

*117/00*  
॥ बी०एम०वोहरा ॥  
आयुक्त/अध्यक्ष  
म०दे०वि० प्रा०,  
देहरादून ।